संख्या–728 /XVIII(1)/2017-02(1)/2014

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुक्त एव सचिव
राजस्व परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 05 मई, 2017

विषयः–जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्थित नवसृजित तहसील जाखणीखाल हेतु पदों को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1567/XVIII(1)/2016-02(1)/2014 दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा नवसृजित तहसील जाखणीखाल (जनपद पौड़ी गढ़वाल) के विधिवत संचालन हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित तहसील कार्यालय हेतु निम्नानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पदों को भरे जाने की तिथि, जो भी पूर्व में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक के लिए, बशर्ते कि उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	तहसीलदार	01	15600–39100 ग्रेड पे 5400
2.	नायब तहसीलदार	01	9300–34800 ग्रेड पे 4200
3.	रजिस्ट्रार कानूनगो	01	5200–20200 ग्रेड पे 2800
4.	राजस्व लेखाकार (वासिल वाकी नवीस)	01	5200–20200 ग्रेड पे 2400
5.	नायब नाजिर	01	5200–20200 ग्रेड पे 2400
6.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	01	आउटसोर्सिंग से
	योग	06	

2– उक्त पदधारकों का उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य किये गये महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3– अनुसेवक/वाहन चालक हेतु नये पद सृजित नही होंगे, बल्कि उक्त पद के कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से सम्पन्न कराये जायेंगे।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6–लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–00–मतदेय–093–जिला स्थापनायें–03–कलेक्टरी स्थापना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–37 मतदेय/XXVII(5)/2017-18 दिनांक 25 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव

Letter-2.doc

2–

संख्या– /XVIII(1)/2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
5. वित्त अनुभाग–5।
6. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
उप सचिव।